न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 42/2012 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2012/00042)

1. महेन्द्र
2. जोगेन्द्र
3. हरबंश
4. गुरमीत

पुत्रान मुंशीलाल जाति राजपूत निवासी राशियाका तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सीतादेवी पत्नी रोशन जाति राजपूत निवासी ग्राम रोशियाका तहसील कामा जिला भरतपुर।
2. शक्तिसिंह
3. कालूसिंह

पुत्रान रोशन जाति राजपूत निवासी ग्राम रोशियाका तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पोडेन्टस

4. ग्राम पंचायत विलंग जरिये सरपंच ग्राम पंचायत विलंग तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर कामां दिनांक 21.3.2012 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 584 दिनांक 12.8.1988 ग्राम रोशियाका तहसील कामां जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री गोविन्दसिंह डागुर वकील अपीलान्ट
2. श्री हनुमान प्रसाद वकील रैस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः– 13.09.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उप जिला कलक्टर कामां के निर्णय दिनांक 21.3.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत विलंग पंचायत समिति कामां जिला भरतपुर द्वारा मृतक खातेदार मुन्शीराम पुत्र गणेशदास कौम राजपूत साकिन देह की मृत्योपरान्त उसका विरासतन नामान्तरकरण संख्या 584 दिनांक 12.8.1988 को केवल मृतक मुन्शीराम की बेबा कृष्णा देवी के नाम तस्दीक किया गया। जिसको असल रैस्पोडेन्टस संख्या 1, 2, 3 के द्वारा तहत अदालत में जरिये अपील चुनौती दी गई तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.3.2012 पारित करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर

13.9.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

9-11-20
26.4.21

नामान्तरकरण संख्या 584 पर सरपंच ग्राम पंचायत विलंग द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 12.8.1988 निरस्त करते हुये तहसीलदार कामां को प्रकरण रिमाण्ड करते हुये आदेशित किया गया कि राजस्व अधिकारी दाखिल खारिज स्वीकृत करते वक्त सभी दावेदारों की जांच कर पुनः निर्णित करें। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में मीमो ऑफ अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। अदालत मातहत के आदेश न्याय संगत नहीं कहा जा सकता क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल खारिज संख्या 584 ग्राम पंचायत विलंग दिनांक 12.8.1988 के विरूद्ध श्रीमती सीतादेवी वगैरहा ने जो अपील पेश की है वह करीब 22 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है जो स्पष्टतया मियाद बाहर थी। इस अपील को किसी भी सूरत में मियाद में शुमार नहीं की जा सकती थी। अपीलान्ट की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपील भी मियाद बिन्दु को सुरक्षित रखते हुये दर्ज रजिस्टर की गई थी। कानून की यह मान्यता है कि कोई भी अपील/रिवीजन मियाद बाहर प्रस्तुत की जाती है तो सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को अपील के मैरिट से पूर्व निस्तारण किया जाना मेन्डेटरी प्रावधान है, लेकिन तहत अदालत द्वारा मैन्डेटरी प्रावधानों की पालना न कर मियाद के बिन्दु को बिना विवेचना किये हुये मियाद बाहर अपील पर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जबकि मियाद का बिन्दु एक क्षेत्राधिकार के बिन्दु को निर्धारित करता है इसलिऐ अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अगर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है तो सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को ही तय किया जाना आवश्यक है, चाहे अपील में मियाद का बिन्दु नहीं उठाया गया हो, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में मियाद के बिन्दु पर कतई विचार नहीं किया गया और न ही अपीलाधीन निर्णय में ही इस बारे में कोई उल्लेख किया गया कि अपील को अन्दर मियाद माना जाता है।

वकील अपीलान्ट ने अपने तर्क के समर्थन में 2021(1)पृष्ठ संख्या–130, 2018(2)आर.आर.टी. पेज 154 व 1998 डी.एन.जे. राजस्थान पेज 767 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए उल्लेख किया कि उक्त नजीरों में माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अपील में गुणावगुण पर कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व मियाद का प्रश्न पहले निर्णित किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक वाद, अपील व याचिका हेतु परिसीमा का बंधन निहित है तो प्रथम परिसीमा का प्रश्न निपटाया जायेगा। भले ही इस संबंध का विवाद नहीं उठाया गया हो। परिसीमा में हुए विलंब के लिये धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किये बिना मामले को अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने को

13.9.2021
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उचित नहीं माना गया है। उपरोक्त प्रकरण में भी अदालत मातहत ने मियाद संबंधी बिन्दु को तय किये बिना गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है जो कि उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उचित नहीं होने के कारण निरस्तनीय है।वकील अपीलान्ट ने 2014(1)आर.आर.टी. पेज 154 एस.सी.व 2015(1) आर.आर.टी पृष्ठ संख्या–232 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीरों में भी माननीय सर्वोच्च न्यायायल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परिसीमा का कानून केवल औपचारिकता नहीं है वरन् इसे कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। उक्त प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चार दिन के विलम्ब को भी परिसीमित किये जाने योग्य नहीं मानकर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि परिसीमा कानून पूर्ण कठोरता से लागू करना चाहिये। साम्य आधारों पर भी परिसीमा काल विस्तार करने हेतु न्यायालय को शक्ति प्राप्त नहीं है। उक्त प्रकरण में लगभग 22 वर्ष बाद अपील पेश की गई थी। अपील विलम्ब से पेश किये जाने के संबंध में कोई पर्याप्त व उचित आधार अपीलान्ट द्वारा दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र वर्णित नहीं किये गये थे, इसके बाबजूद भी अदालत मातहत में मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना ही पारित किया

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील असल रैस्पोडेन्ट स्वीकार कर दाखिल खारिज को निरस्त करने की आज्ञा पारित की गई है और साथ में रिमाण्ड करने का आदेश पारित किया है, लेकिन रिमाण्ड किस न्यायालय को किया गया है इस बारे में निर्णय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि मुंशीराम की मृत्यु के बाद कृष्णादेवी के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया था। कृष्णा देवी की मृत्यु भी दिनांक 19.05.2010 को हो चुकी है। कृष्णा देवी की मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर दाखिल खारिज तस्दीक होना शेष है। इस तथ्य को छुपाकर दाखिल खारिज को रूकवाने की नीयत से उक्त अपील 22 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी। अदालत मातहत द्वारा भी अपीलाधीन आदेश हॉटेस्ट पद्धति के आधार पर पारित किया गया है। जिसमें सभी कानूनी बिन्दुओं पर विचार न कर वेग पद्धति के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश कानून की परिधि से बाहर पारित होने, मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किये बिना पारित किया गया है। जो कि अवैध एवं क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण काबिले खरिजी के है।

अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर कामां का आदेश तारीखी 21.3.2012 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पों0 ने लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि उप जिला कलक्टर कामां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2012 विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही पारित

13.9.2012
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्योंकि मुंशीराम के फौत होने पर दाखिल खारिज संख्या 584 पर जो वास्तविक वंशावली बनाई गयी थी उसमें (1) कृष्णादेवी बेबा (2) रोशनलाल (3) जोगेन्द्र (4) हरवंश (5) गुरमीत (6) महेन्द्र पुत्रगण बताये गये है। रोशन की मृत्यु होने के कारण उसके वारिस शक्तिसिंह व कालू को दर्शाया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आधार के तथा ग्राम पंचायत की बैठक में रखे बिना ही स्वयं के स्तर से ही दाखिल खारिज कृष्णादेवी के नाम इस आधार पर स्वीकार किया कि उसकी मौजूदा वारिसान जिनका कि नाम दर्ज नहीं है अपनी मां कृष्णादेवी के पक्ष में दाखिल खारिज दर्ज करने की राय व्यक्त की है। यानि अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 4 की सहमति जताते हुए नामान्तकरण स्वीकार किया है। जबकि रोशन लाल उस वक्त जीवित ही नहीं थे, रोशनलाल की मृत्यु मुन्शीराम के जीवनकाल में ही हो चुकी थी। सरपंच द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण में रोशनलाल के वारिसान की सहमति थी। इसलिए सहमति के तथ्य को सही नहीं माना जा सकता है। ग्राम पचांयत की बैठक में रखे वगैर एवं वगैर सर्वसहमति के अकेले सरपंच के द्वारा मृतक की पत्नी के नाम स्वीकृत विरासतन नामान्तरकरण न्यायसंगत नही माना जा सकता है। वकील रैस्पो0 ने तर्क दिया कि विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत पारित किये गये आदेश के संबंध में मियाद संबंधी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस संबंध में मियाद अधिनियम की धारा–3 में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि भारतीय मियाद अधिनियम के अंतर्गत अवैध शून्य एवं क्षेत्राधिकार के बाहर के आदेश के लिये कोई मियाद नहीं होती है। ऐसे आदेश प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुए होते हैं। इसके बावजूद रैस्पो0 ने एसडीओ के न्यायालय में नामान्तकरण संख्या 584 निरस्त करने हेतु जो अपील प्रस्तुत की थी उसके साथ धारा –5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया था जिसका अपीलान्ट की ओर से कोई जबाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया था। इसलिए मियाद संबंधी बिन्दु पर अलग से कोई निर्णय किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अदालत मातहत ने प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के बाद तहसीलदार कामां को विधिक वारिसानों की जांच कर पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया है। रैस्पोडेन्टान मृतक रोशन के पुत्र है तथा उनका मुंशीराम की मृत्यु के बाद प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण विवादित आराजी में पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट को अपना हक साविक करने के लिये तहसीलदार के समक्ष समुचित अवसर प्राप्त होगा। कृष्णादेवी भी मुंशीराम की एक वारिस है जब शुरू का आदेश ही कृष्णादेवी के हक में एकल रूप में नहीं किया जा सकता था तो उसके हक में अपीलान्टान द्वारा सहमति देने से कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वकील रैस्पो0 ने यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय को पूर्ण रूप से निरस्त नहीं कर तहसीलदार कामां को रिमाण्ड किया है। इसलिए मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किये जाने का तर्क सारहीन हो जाता है। इसके अलावा भी आर.आर.टी. 2006 पेज 1112 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपील पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार करने के बाद विलम्ब उप शमित

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया गया है। तो द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर हस्तक्षेप किया जाना भी न्यायोचित नहीं माना गया है। केवल अनियमितता की त्रुटि से अधिकार क्षेत्र के और परिणामतः न्याय का हनन हुआ हो तो ही हस्तक्षेप न्यायोचित माना गया है। चूंकि, इस प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए खातेदारी कायम की पुनः जांच हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया है। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2012 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि रैस्पों0 की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील में अपील विलम्ब से पेश किये जाने तथा उक्त अपील को पेश किये जाने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को सर्वप्रथम मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय करने के पश्चात ही प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करना था। परन्तु इस बिन्दु पर निर्णय नहीं किया गया। इसके अलावा भी मुंशीराम की बेवा कृष्णा देवी जिसके नाम से अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार किया गया था, की मृत्यु के पश्चात् सभी विधिक वारिसान के नाम से विवादित भूमि का नामान्तकरण खोला जाना है। इस कारण रैस्पों0 के अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई विपरीत असर नहीं हो रहा है। इसके अलावा अदालत मातहत के समक्ष ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण के विरूद्ध अपील 22 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की गई थी, जिसका मियाद संबंधी बिन्दु तय करने के बाद भी गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिये था, परन्तु अदालत मातहत द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वरन् संक्षिप्त आदेश पारित किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया कि प्रकरण किस अधिकारी को रिमाण्ड किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उक्त प्रकरण मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी कामां को प्रेषित किया जावे।

अपीलान्टस व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली व उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा बहस में वर्णित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2012 उचित नहीं है। क्योंकि रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में नामान्तकरण संख्या 584 दिनांक 12.08.1988 के विरूद्ध जो अपील दिनांक 20.07.2010 को प्रस्तुत की गई थी, वह अपील प्रथम दृष्ट्या मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी। रैस्पो0 की ओर से मीमो ऑफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होते ही अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया था। चूंकि रैस्पोडेन्टस की ओर से उक्त अपील लगभग 22 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व अदालत मातहत को

13.9.2012
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के संबंध में समुचित निर्णय करने के पश्चात ही प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिये था। इस संबंध में वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित विभिन्न नजीरें यथा 2021(1)आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 130, 2018(2)आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या–1154 व 1998 डी.एन.जे. राज. पृष्ठ संख्या 767 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय है, जिनमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दावा अपील याचिका में मियाद संबंधी अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व विनिश्चय करना आवश्यक है। इसी प्रकार 2014(1)आर.आर.टी.पृष्ठ संख्या 154 एस.सी. व 2015(1)आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 232 पर उद्धरित निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परिसीमा का कानून पूर्ण कठोरता से लागू किया जाना चाहिये। उक्त प्रकरण में अपील 22 वर्ष के विलम्ब के बाद प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक था। जहां तक वकील रैस्पों0 की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2006(2)आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 1112 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्त से हम सादर सहमत है परन्तु नजीर में वर्णित तथ्य तथा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य भिन्न–भिन्न होने के कारण उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है क्योंकि उक्त नजीर में मियाद संबंध बिन्दु के संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार करने के बाद विलम्ब को उप शमित किया गया था जबकि उक्त प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा विलम्ब के संबंध में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2012 में किसी प्रकार का कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया और न ही निर्णय में ही इस बारे में कोई उल्लेख किया। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2012 के गुणावगुण पर विचार किये बिना उक्त निर्णय निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कामां को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम रैस्पों0 की ओर से प्रस्तुत अपील में मियाद संबंधी बिन्दु को विधिवत रूप से तय करने के बाद अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 584 दिनांक 12.08.1988 के संबंध में उभयपक्षकारान को सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर देने के बाद नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 13.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर चंद वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर